न्यायालय सहायक कलक्टर कोर्ट कैम्प–मावा, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 76/2021 दायर दिनाँक 31.03.2021

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. इस्माईल पुत्र मोला बगस 2. रसूल बगस पुत्र मोला बगस जातिगण मणिहार निवासीगण मावा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।	बनाम्	1. शिव भगवान पुत्र लिछमण जाति ब्राहम्ण निवासी मावा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 2. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री मो0 अली शैरानी वकील वादीगण।
2. श्री राकेश कुमार प्रतिवादी सं0 01।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 05.10.2021

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि यह है कि प्रतिवादी सं0 01 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 448 रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा वाकै सरहद मावा पटवार हल्का मावा भू–अभिलेख निरिक्षक मावा तहसील डीडवाना में अवस्थित है।

यह है कि प्रतिवादी सं0 01 ने अपनी खातेदारी सुदा व कब्जा सुदा खेत खसरा नम्बर 448 रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा वाकै सरहद मावा में से अपने हिस्से व बंट का 1/2 भाग भूमि दिनांक 13.01.1982 को उप पंजियन अधिकारी, डीडवाना के समक्ष जरिये रजिस्टर्ड बैचाण के सम्पूर्ण रकम प्राप्त कर वादी के हक में निष्पादित करवाया गया, उक्त कृषि भूमि के 1/2 पूर्वी भाग पर खरीद के समय से लेकर आज दिन तक उक्त 1/2 पूर्वी भाग पर सिंवे–निवें कायम कर उपयोग उपभोग करते हुये काबिज काश्त चले आ रहे है।

यह है कि वादी अपनी रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के खरीद सुदा व कब्जा सुदा खेत खसरा नम्बर 448 रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा भूमि का 1/2 पूर्वी भाग में प्रतिवादी सं0 01 का नाम हटाकर वदी अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादी सं0 02 से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी सं0 02 ने वादी ने नाम खातेदारी दर्ज करने से मना कर दिया, उक्त कृषि भूमि के 1/2 पूर्वी भाग पर वादी दिनांक 13.01.1982 से काबिज काश्त चला आ रहा है, लेकिन सिंवा विवाद होने से तथा खातेदारी में नाम नही होने से वादी अपनी खरीद सुदा 1/2 पूर्वी भाग की खातेदारी [illegible] बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तहत करवाना चाहता है, इ[illegible] को यह दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती की याद पेश करना [illegible] आया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:57:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना वादी इस प्रकार है –

1. यह है कि खसरा नम्बर 448 रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा भूमि का 1/2 पूर्वी भाग की खातेदारी प्रतिवादी सं0 01 के स्थान पर वादीगण के नाम खातेदारी अलग से दर्ज की जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।
2. यह है कि खेत खसरा नम्बर 448 रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा भूमि बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस कर उसके 1/2 पूर्वी भाग की खातेदारी वादीगण के अकेले के नाम दर्ज की जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

राजस्व लोक अदालतः प्रशासन गांवों के संग, कोर्ट कैम्प–मावा में प्रकरण पेश हुआ। प्रतिवादी सं0 01 शिवभगवान का इकबालिया जबाब पेश हुआ। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया।

पक्षकार दावा स्वीकार किया जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। वादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के क्रय किया जाना, लिखित होने के आधार पर, हमारे मत में, वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। वादीगण के वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है।

अतः बाद विवेचन, वाद वादीगण को स्वीकार किया जाकर डिक्री सादर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्व दावा वाकै सरहद मावा के खेत खसरा सं0 448 रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा में 1/2 के पूर्वी भाग से खातेदार प्रतिवदी सं0 01 का नाम हटाकर उक्त खसरा भूमि के 1/2 पूर्वी भाग में वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मावा

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 05.10..202[illegible] ...म्प–मावा में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:57:58 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मावा

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2021

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर कोर्ट कैम्प मावा, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **76/2021** दायर दिनाँक **31.03.2021**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. इस्माईल पुत्र मोला बगस 2. रसूल बगस पुत्र मोला बगस जातिगण मणिहार निवासीगण मावा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।	**बनाम्**	1. शिव भगवान पुत्र लिछमण जाति ब्राहम्ण निवासी मावा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 2. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **05.10.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मो0 अली शैरानी वकील वादी व श्री राकेश कुमार प्रतिवादी सं0 01 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा वाकै सरहद मावा के खेत खसरा सं0 448 रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा में 1/2 के पूर्वी भाग से खातेदार प्रतिवदी सं0 01 का नाम हटाकर उक्त खसरा भूमि के 1/2 पूर्वी भाग में वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **05.10.2021** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
अन्तर्गत कैम्प–मावा
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्च ... के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:57:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मावा
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner